



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरल कम्पनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

जिला – श्रीगंगानगर (राज0)

फैक्स -01498 -261233

दूरभाष : 01498-261202,261227

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

Central State Farm, Jetsar

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 01498-261202, 261227

E-mail – csf.jetsar@indiaseeds.com

TENDER SUMMRY

S.N	REQUIRED INFORMATION	TO BE FILLED BY TENDAR INVITING OFFICE
1	FILE NO.	CSF/JTS/SPO/2024-25 dated :- 26.05.2025
2	DATE OF PUBLISHING(IN NEWS PAPER)*	26.05.2025
3	DATE OF PUBLISHING CPP*	26.05.2025
4	CPP GENERATED TENDER ID:*	
5	DATE OF TEENDER PUBLISHING ON E-PRODUCTION (ONLY CASE OF E-TENDER)	
6	DATE&TIME OF E-MAIL ING TENDER DOCUMENT TO HO, FOR PUBLISHING ON NSC WEBSITE:*	
7	TENDER DESCRIPTION(IN ENGLISH):*	Processing and Packing of Rabi-24-25, Summer and kharif-2025 crops
8	TENDER SUBMISSION LAST DATE& TIME:*	03-06-2025 3.00 noon
9	TENDER ISSUED BY (APPROVING AUTHORITY NAME AND DESIGNATION):*	Farm Head CSF, Jetsar



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल कम्पनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिला — श्रीगंगानगर (राज0)

दूरभाष : 01498-261202, 261227

**NATIONAL SEEDS CORPORATION
LIMITED**

(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)

Central State Farm, Jetsar

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 01498-261202, 261227

E-mail- csf.jetsar@indiaseeds.com

क्रमांक :- के.रा.फा./जैत/बी.उ.अ./2025-026

दिनांक: 26.05.2025

ई-निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर जिला श्रीगंगानगर (राज0) पर रबी 2024-25, जायद 2025 एवं खरीफ 2025 में उत्पादित राँ बीजों का विधायन संयंत्र संख्या 21 खण्ड-एक पर अनुमानित 25000 क्विंटल राँ बीजों के विधायन, पैकिंग एवं पल्लेदारी कार्यो हेतु अनुभवी ठेकेदारों को नियुक्त करने हेतु दो बिड सिस्टम आधार पर ई-निविदा दिनांक 03.06.2025 को 03.00 PM बजे तक आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 03.06.2025 को 03.30 PM बजे खोली जायेगी। निविदा हेतु विस्तृत विवरण, निविदा प्रपत्र एवं नियम-शर्तें हमारी वेबसाइट www.indiaseeds.com, पर देखी जा सकती है। निविदा हेतु हमारे ई-पोर्टल <http://indiaseeds.enivida.com> पर निविदाता का पंजीकृत होना अनिवार्य है।

फार्म प्रमुख



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल कम्पनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिला – श्रीगंगानगर (राज0)

दूरभाष : 01498-261202, 261227

**NATIONAL SEEDS CORPORATION
LIMITED**

(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)

Central State Farm, Jetsar

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 01498-261202, 261227

E-mail- csf.jetsar@indiaseeds.com

क्रमांक :- के.रा.फा./जैत/बी.उ.अ./2025-026

दिनांक: 26.05.2025

Particulars	Details
Date of issue of NIT	26.05.2025
Tender Document Download Start Date/time	26.05.2025
Tender Document Download End Date/time	03.06.2025 03:00 PM
Date and time for submission of online bid	From 26.05.2025 to 03.06.2025
Date and time of opening of tender	03.06.2025, 03:30 PM
Tender Fee (To be deposited online)	Rs 590.00 (Five Hundred Ninety Only)
EMD (To be deposited online)	Rs 1,00,000.00 (One Lakh Only)
Address for Communication	Farm Head, Central State Farm, Jetsar, National Seeds Corporation Ltd- 335702
Contact Person (with Phone No & E-Mail)	Sh. Bachchu Singh Meena, I/C SPO, Mob No.- 9694302815 E-Mail ID csf.jetsar@indiaseeds.com

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on <https://indiaseeds.enivida.com> by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.
2. Bidders must provide the details of PAN number, registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com
3. Bidders must have a valid email id and mobile number.
4. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.
5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.
6. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.
7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.
8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.
9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e- tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tender document.
10. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.
11. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bid sheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.
12. Bidders must pay required payments (Tender fee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.
13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.
14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...

15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.
16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.
17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.
18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.
19. The time displayed in the server is IST(GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.
20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secrecy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - Phone: 9355030617, 8448288980

Tel: 011-49606060

Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com

विधायन संयंत्र सं0 21 (खंड -1) पर प्रोसेसिंग/पैकिंग कार्य का ठेका लेने के लिए नियम व शर्तें:

1. विधायन/पैकिंग कार्य में सम्मिलित सभी कार्य की दरें रॉ बीज/पैक बीज पर ही देय होगी।
2. ठेकेदार बोरियों में किसी भी प्रकार के हुक का प्रयोग नहीं करेगा। यदि वह हुक का प्रयोग करता हुआ पाया गया तो बोरी की कीमत ठेकेदार से वसूल की जायेगी।
3. ई-निविदा प्रपत्र शुल्क रुपये 500.00+18% GST= 590.00 रुपये व ई-निविदा की धरोहर राशि (EMD) रुपये 100000.00 जो ऑनलाइन अथवा RTGS के माध्यम से नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के नाम से SBI बाजूवाला के खाता संख्या 41532435884 (IFSC Code- SBIN0008251) में जमा करानी होगी। जिसमें पार्टी को धनराशि जमा कराने का UTR No/Date ई-निविदा में अंकित करना होगा।
4. असफल निविदादाताओं की EMD एक निश्चित अवधि में पार्टी के लिखित अनुरोध पर RTGS के माध्यम से वापस की जायेगी। L-1 पार्टी/सफल निविदादाता द्वारा किसी भी कारण से नाम वापस लिये जाने की स्थिति में पार्टी की अमानत राशि वापस नहीं की जायेगी। ठेके के संतोषप्रद समाप्ति उपरांत सफल निविदादाता की EMD/Security money बिना किसी ब्याज के वापस की जायेगी।
5. कार्य की दरों के लिए नेगोशियेशन नहीं किया जायेगा। फिर भी किसी परिस्थितिबश नेगोशियेशन करना पड़ा तो सिर्फ L-1 निविदादाता से की जायेगी।
6. ठेकेदार को ठेका मिलने के बाद 15 दिन के अंदर रुपये 500/- के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर फार्म प्रमुख महोदय, एन.एस.सी. केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर (राजस्थान) से अनुबन्ध करना होगा।
7. बीज विधायन, पल्लेदारी तथा पैकिंग का कार्य रबी 2025-26, जायद 2025 तथा खरीफ 2025 में उत्पादित सम्पूर्ण उत्पाद के लिए है। अतः सम्पूर्ण कार्य समय पर करके देना अनिवार्य है।
8. कार्य के भुगतान का बिल GST के प्रारूप में प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा।
9. प्रत्येक कार्य की दर टैक्स सहित देनी होगी।
10. TDS एवं अन्य कर की कटौती नियमानुसार बिल में से की जायेगी।
11. **लेबर लाइसेंस देना अनिवार्य है।**
12. टेण्डर भरते समय श्रमिक ठेकेदार को अनुभव प्रमाण-पत्र, ई.एस.आई.कर्मचारी भविष्य निधि तथा पेनकार्ड संलग्न करना आवश्यक होगा तथा यदि कोई अन्य टैक्स देय बनता है तो ठेकेदार को वहन करना पड़ेगा।
13. ठेकेदार के पास कर्मचारी भविष्य निधि एवं ई.एस.आई. का पंजीकरण अथवा कोड होना जरूरी है।
14. ठेकेदार के अगले बिल का भुगतान, पिछले महीनों में ESI, EPF की कटौती व जमा करने के चालान की प्रति व मजदूरों को भुगतान करने का विवरण प्रस्तुत करने उपरान्त ही संभव होगा।
15. निविदादाता किसी भी संस्था द्वारा निविदा के समय कालीसूची में न डाला गया हो। इसके सन्दर्भ में निविदादाता को स्वयं प्रमाणित नॉन - ब्लैक लिस्टिंग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।
16. यदि किसी किस्म में अन्य बीजों का मिश्रण है तो उस बीज लॉट की चुगाई का कार्य भी ठेकेदार के मजदूरों द्वारा किया जायेगा।
17. बीज की किस्म बदलने से पूर्व मशीन की जाली बदलवाने में सहयोग करना एवं आस-पास व गोदाम के अन्दर से प्रत्येक बीज (दाना) पूर्ण रूप से साफ करवाना होगा, जिसका कोई भी भुगतान अलग से देय नहीं होगा।
18. ठेका मंजूर होने पर ठेकेदार को फार्म द्वारा दिये गये समय के अन्दर कार्य शुरू करना होगा।
19. अगर ठेके का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जायेगा तो उसका ठेका बिना किसी नोटिस के रद्द किया जा सकता है तथा धरोहर राशि जब्त कर कार्यवाही भी की जा सकती है।
20. खाली बोरियों, कट्टों व थैलियों को अच्छी तरह झाड़कर, पलटकर 25-25 के बण्डल बनाकर गोदाम में कार्य के साथ-साथ रखना होगा।
21. संसाधन व पैकिंग मैटेरियल ठेकेदार के आदमी द्वारा गोदाम से प्लांट पर लाना होगा तथा पैकिंग व प्रोसेसिंग का कार्य शुरू करना होगा।
22. टेण्डर में दिये गये सभी कार्यों की दरें देना अनिवार्य है अन्यथा कार्य की दर नहीं होने पर उस कार्य को ठेकेदार द्वारा करना अनिवार्य होगा एवं उस कार्य का भुगतान फार्म द्वारा नहीं किया जायेगा।
23. ठेकेदार व उसके मजदूरों द्वारा चोरी, मारपीट जैसी हरकत के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
24. मजदूरों की कमी के कारण यदि किसी भी कार्य को फार्म के मजदूरों से करवाना पड़ा या किसी अन्य ठेकेदार से ज्यादा दर पर करवाना पड़ा तो उसका पैसा भी ठेकेदार को देना होगा। यह पैसा ठेकेदार के बकाया बिल या अग्रिम धरोहर राशि से काट लिया जायेगा।

25. बीज विधायन प्लांट जरूरत पड़ने पर तीन पारियों में 24 घण्टे चलाना होगा। इसके लिये प्रत्येक शिफ्ट में आवश्यक पर्याप्त मजदूर प्रतिदिन हर हालत में रखने होंगे अन्यथा फार्म अपने मजदूरों से शिफ्ट चलाने को बाध्य होगा और इन मजदूरों को वेतन का भुगतान ठेकेदार के बिल से काट कर किया जायेगा।
26. मजदूरों को लाना व समय पर कार्य करवाने की पूरी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
27. ठेकेदार/प्रतिनिधि को काम के समय कार्यस्थल पर हमेशा मौजूद रहना होगा।
28. किसी कारणवश भुगतान मिलने में देरी होती है, तो ऐसे हालात में ठेकेदार को कार्य जारी रखना होगा।
29. बीज व अण्डर साईज की तुलाई सही व निश्चित मात्रा के अनुसार होनी चाहिये अन्यथा किसी भी बोरी, कट्टे व थैली को तोलकर सत्यापन किया जा सकता है और अगर तोल सही न मिलने पर पूरा का पूरा लॉट दूबारा बिना भुगतान के तौलना होगा। साथ ही मानक के अनुसार पुनः पैकिंग करनी होगी जिसका अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
30. कम से कम दस टांकों के साथ मजदूरी से डबल सूतली से बीज एवं अबीज की बोरियों को सही ढंग से सिलना होगा व बीज को फैलने व बिखरने से बचाना होगा।
31. ट्राली व ट्रक में बीज व अबीज को भरते व खाली करते समय बीज को बिखरने से बचाना होगा। व बिखरे हुए बीज को इकठ्ठा कर विधायन प्रभारी को सुपुर्द करना होगा अन्यथा उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार के बिल से काट कर की जाएगी।
32. तिरपाल, कैरेट, पैकिंग का सामान गोदाम से ठेकेदार को अपने ही मजदूरों से मंगवाना होगा। व पैकिंग के उपरांत पैकिंग स्थल/गोदाम इत्यादि की साफ सफाई भी करनी होगी।
33. बाल व श्रम अधिनियमानुसार छोटे बच्चों व शराबी मजदूरों को प्लांट के अन्दर लाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है। ठेकेदार व उसके मजदूर प्लांट या गोदाम में बीड़ी, सिगरेट नहीं पीयेंगे तथा ज्वलनशील पदार्थ बीज विधायन संयंत्र व बीज गोदाम के अन्दर नहीं लायेंगे।
34. प्लांट प्रभारी, शिफ्ट प्रभारी, मैकेनिक, हैल्पर या अन्य फार्म के कर्मचारी/अधिकारी व फार्म पर आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार करने पर ठेकेदार का ठेका रद्द करके अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
35. ठेकेदार अपना ठेका किसी दूसरे ठेकेदार के नाम बिना फार्म प्रमुख की इजाजत के स्थानांतरण नहीं कर सकता है।
36. सफल निविदादाता को फार्म पर कार्य करवाने हेतु अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने के सन्दर्भ में फार्म प्रमुख को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसकी फार्म प्रमुख द्वारा स्वीकृति उपरांत ही प्रतिनिधि की नियुक्ति मानी जायेगी।
37. प्रतिदिन काम की समाप्ति पर गोदाम या प्लांट के शटर बन्द करने होंगे।
38. माल उतारते व लादते समय कटे व खुले कट्टे, बोरियों को ठेकेदार अपने मजदूरों से दुबारा सील करके लादना होगा।
39. ठेकेदार के मजदूरों द्वारा हुक के प्रयोग से बोरियों, कट्टों व थैलियों के फटने तथा चट्टे के ऊपर से बोरी गिर जाने के कारण फट जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार के बिल से काट कर की जायेगी।
40. विधायन संयंत्रों पर प्रतिदिन कम से कम 500 –800 किं. रॉ बीज की ग्रेडिंग करने हेतु श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे।
41. ठेकेदार यह सुनिश्चित करे की ट्रांसपोर्टेशन एवं ट्रक में बीज लोड के समय भी प्रोसेसिंग एवं पैकिंग के लिए मजदूरों की उपलब्धता बनी रहे।
42. प्रमाणीकरण संस्था के फसलवार समयावधि एवं फार्म द्वारा दिए गए समय सारणी के अन्दर ही विधायन/पैकिंग का कार्य हर हाल में पूरा करना होगा।
43. विधायन/पैकिंग का कोई भी कार्य बिना शिफ्ट इंचार्ज अथवा विधायन प्रभारी के संज्ञान में लाये बिना यदि किया जाता है तो ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्यवाही की जा सकती है।
44. ठेकेदार अपने मजदूरों को दवाई का कार्य करते समय मास्क व दस्ताने का प्रयोग अवश्य करना होगा। दवा की पुड़िया बनाते एवं बीज का उपचार करते समय बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं एवं बीमार मजदूरों को काम पर नहीं लगायेगा तथा शिफ्ट इन्चार्ज द्वारा बताये निर्देशों का पालन करेगा।
45. बीज की गुणवत्ता संतोषजनक हो उसी के आधार पर फीडिंग करवाना होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः फीडिंग करवाना होगा।
46. कार्य का भुगतान कार्य की समाप्ति के बाद ही किया जायेगा। किसी कारण से श्रमिक ठेकेदार को बिल के भुगतान में देर होने पर भी श्रमिक ठेकेदार को कार्य करवाना होगा और समय पर पूरा करवाना होगा।
47. श्रमिक ठेकेदार व उसके मजदूर प्लांट की मशीनों तथा बिजली के स्विच आदि के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, मशीनों को नहीं चलायेगा।
48. विधायन संयंत्र को चालू करने से पूर्व संयंत्र परिसर में अच्छी तरह से सफाई करानी होगी।

49. बैगकलोजर एवं भारमापक यंत्र श्रमिक ठेकेदार को काम चालु करने पर सही हालत में सौंप दिये जायेंगे तथा काम पूर्ण होने पर सही हालत में लिये जायेंगे।
50. फार्म की आवश्यकता को देखते हुए यदि पैकिंग साइज में बदलाव होता है तो उस बदलाव के अनुसार कार्य करना होगा जिसकी दर दोनों पक्षों के आपसी सामंजस्य से निर्धारित की जायेगी।
51. बीजो की पैकिंग के समय सभी थैलियों व बैगों में उचित मात्रा में दवा डालना एवं सील लगाना होगा, यदि दवाई न डालने एवं सील न लगाने की शिकायत प्राप्त होती है या आर्थिक नुकसान होता है तो इसकी भरपाई सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी।
52. पुनःवैधीकरण कराए गए बीज थैलियों एवं कट्टो के टैग एवं बैग पर मोहर न लगाने की दशा में होने वाले नुकसान की भरपाई सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी।
53. विधायन एवं पैकिंग के समय थैलियों, बैगों एवं बोरियों में वजन उचित मात्रा में भरा जाए। शिकायत प्राप्त होने या आर्थिक नुकसान होने पर पूर्ण दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा एवं किसी भी प्रकार की भरपाई का ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
54. टेण्डर अवधि के दौरान दिये गये समयसीमा में ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं करने अथवा देरी से कार्य करने पर यदि उस कार्य के देरी से होने पर नुकसान हुआ तो उस कार्य का 5 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
55. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एन.एस.सी. और दूसरी पार्टी के बिच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इसे आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संसोधित किये गए मध्यस्थता आयुर् सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमती से राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थता नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जाने से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेज़ी भाषा में आयोजित की जायेगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।
56. किसी भी निविदादाता द्वारा फार्म में रिश्वत/उपहार अथवा किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाना दंडनीय अपराध होगा।
57. टेण्डर में दिये गये नियम एवं शर्तें निविदादाता को मान्य होगी। निविदादाता द्वारा कार्य करने में देरी अथवा असमर्थता दिखाने पर उसकी EMD/Security राशि जप्त कर ली जावेगी तथा कार्य का ठेका निरस्त किया जा सकता है।
58. फार्म के फार्म प्रमुख महोदय द्वारा एक कर्मचारी को मनोनीत करने का अधिकार होगा जो कि श्रमिक ठेकेदार द्वारा बनाये गये रजिस्टर में श्रमिकों की उपस्थिति एवं भुगतान करने की राशि की जाँच करेगा। यदि जाँच के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है और फार्म में जमा की गई EMD/Security राशि से त्रुटि की भरपाई की जायेगी। सुरक्षा के लिहाज से भी गेट पर अलग रजिस्टर होना आवश्यक है जिसमें श्रमिकों का आना एवं जाना अंकित हो।
59. ग्रेडिंग व पैकिंग में कोई भी कार्य सही या पूर्ण नहीं किया गया हो तो उस मात्रा का भुगतान नहीं किया जाएगा व फार्म प्रमुख महोदय द्वारा गठित कमेटी द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।
60. ठेकेदार द्वारा मजदूरों को जो भी वेतन दिया जाएगा, वह राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन से कम नहीं होना चाहिए।
61. प्रत्येक मजदूर कि उमर 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
62. दिए गए कार्यों में अगर कोई कार्य नहीं होती है तो उसके अनुसार कटौती की जाएगी।
63. MSME से पंजीकृत संस्था/ठेकेदार को अमानत राशि में छूट देय होगी। लेकिन सफल निविदादाता को रुपये 50000/- प्रति प्लांट के अनुसार EMD / Security राशि के रूप में कार्य शुरू करने से पहले जमा करानी होगी।

64. तीनो खण्डों के रॉ-बीज की ग्रेडिंग विधायन प्रभारी की दिशानिर्देशानुसार करनी होगी, तथा विधायत बीजों की भराई हेतु साफ़ एवं अच्छी बोरीयों का ही उपयोग किया जाना होगा, फटी हुई बोरीयों में बीज भरने की स्थिति में बोरीयों को साफ़ एवं अच्छी बोरीयों में पलट कर पुनः तुलाई करनी होगी।
65. **L-1 निर्धारण प्रक्रिया:-** वर्तमान निविदा में निविदादाताओं द्वारा कार्य मद वार दी गयी दरों को पूर्व वर्ष (रबी 2023-24, जायद-2024 एवं खरीफ-2024) में हुए कार्य की वास्तविक मात्रा से गुणा कर प्राप्त संभावित कुल राशि के आधार पर L-1 फर्म निर्धारित की जाएगी। जिन कार्य मदों पर पूर्व वर्ष (रबी 2023-24, जायद-2024 एवं खरीफ-2024) में कोई भी कार्य नहीं किया गया है उक्त कार्य मद की संभावित मात्रा 100 क्विंटल ली जायेगी।
- 66- एक ठेकेदार विधायन सयंत्र 21 (खंड –प्रथम) व विधायन सयंत्र 200 व 225 (खंड –द्वितीय) में से केवल एक ही निविदा में भाग ले सकता है। एक ठेकेदार तीनों विधायन के लिए निविदा नहीं दे पायेगा, एवं विधायन सयंत्र 200 एवं 225 का ठेका अलग – अलग न भरकर दोनों प्लांटों का एक साथ ही भरना पड़ेगा।

उपर दिये गये परिदिष्ट में किसी भी प्रकार के नियमों की परिभाषा, व्याख्या/वर्णन/अनुवाद फार्म प्रमुख द्वारा दी जाएगी जो सर्वमान्य होगी।

उपरोक्त सभी नियम शर्तें मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ ली है।

पार्टी के हस्ताक्षर:-.....

ठेकेदार का नाम:-.....

पिता का नाम:-.....

गांव व पोस्ट:-.....

.....

.....

जिला:-.....



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरल कम्पनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

जिला – श्रीगंगानगर (राज0)

दूरभाष : 01498-261202, 261227

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963PLC003913)

Central State Farm, Jetsar

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 01498-261202, 261227

E-mail- csf.jetsar@indiaseeds.com

क्रमांक :-के.रा.फा./जैत/बी.उ.अ./2025-26

दिनांक 26.05.2025

Annexure "A"

Technical Bid

Tender form (Labour Contractor)

1. Labour Contractor's Name and Address
- 2- E.P.F. Registration no.
- 3- E.S.I Registration no.
- 4- Income tax PAN No.
- 5- Experience Certificate
- 6- Labour License
- 7- Security Deposit UTR No. Date
- 8- Tender Form fee's UTR No. / Date
- 9- Non black listing certificate

Note :- Kindly Attach Aforesaid document's Photocopy.

Signature:-.....

Name:-.....

Address: -

Mobile No.:-

E- Mail: -.....



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल् कम्पनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

जिला – श्रीगंगानगर (राज0)

दूरभाष : 01498-261202, 261227

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963PLC003913)

Central State Farm, Jetsar

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 01498-261202, 261227

E-mail- csf.jetsar@indiaseeds.com

क्रमांक :- के.रा.फा. / जैत / बी.उ.अ. / 2025-26

दिनांक 26.05.2025

Annexure-B

**FORMAT OF UNDERTAKING, TO BE FURNISHED ON COMPANY LETTER HEAD WITH
REGARD TO BLACKLISTING / NON- DEBARMENT, BY ORGANISATION**

UNDERTAKING REGARDING BLACKLISTING / NON- DEBARMENT

AFFIDAVIT

To,

The Director,

NSC, CSF JETSAR.

We hereby confirm and declare that we, M/S....., have not been blacklisted /De-registered by any Government department / Public Sector Undertaking / Private Sector / or any other agency for which we have Executed / Undertaken the work / Services during the last 5 years

.

For.....

Authorized Signatory

Date: